भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 443
सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत नियोक्ता और कर्मचारी

443. श्री रणजितसिंह नाईक निम्बालकर:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री बिद्‌युत बरन महतो:
श्री देवजी पटेल:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के सामाजिक सुरक्षा संरक्षण के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों की तुलना में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत /नामांकित कर्मचारियों की तुलना में नए प्रतिष्ठानों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार /ईएसआईसी द्‌वारा समाज के प्रत्येक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग) दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), तहत 20,83,340 प्रतिष्ठान और 3,05,42,660 कर्मचारी पंजीकृत थे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ईएसआईसी के तहत नामांकित नए प्रतिष्ठानों और पंजीकृत कर्मचारियों के **ब्यौरे** निम्नलिखित थे:-

वर्ष	कुल प्रतिष्ठान*	ईएसआईसी के तहत पंजीकृत कर्मचारी
20-21	1482125	24672150
21-22	1594083	27862710
22-23	2083340	30542607

* कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पोर्टल पर 548980 पंजीकृत प्रतिष्ठान शामिल हैं।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में अपने अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित और 10 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है, जो 21,000/- रूपये (विकलांग व्यक्तियों के लिए 25,000/- रूपये) तक का वेतन आहिरत करते हैं। वैसे भी, यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में, असंगठित क्षेत्र के लिए लाभ का प्रावधान संहिता की धारा 45 और धारा 109 में निहित है, जिसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें असंगठित कामगारों के लिए योजना तैयार कर सकती हैं। यह संहिता अभी लागू नहीं हुई है।

***